Need to declare human deaths caused by honey bee stings as unnatural death and make provisions for payment of compensation for such deaths-laid

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) : मधुमक्खियों के काटने से होने वाली मृत्यु को सामान्य मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है जिससे मृतक के परिवार सहायता राशि से वंचित रह जाते है । मधुमक्खियों के डंक में विष होता है । मेरा आग्रह है कि जिस प्रकार सांप, बिच्छू या अन्य जन्तुओं के काटने से मृत्यु उपरांत सहायता राशि प्रदान की जाती है, उसी प्रकार मधुमक्खियों के काटने के उपरांत मृत्यु को अप्राकृतिक मृत्यु की श्रेणी में जोड़ा जाये व मृतक के परिवार को सहायता राशि मिल सके इस पर विचार करना चाहियें ।